न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 18/2018 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. इब्राहिम पुत्र छाजू जाति मेव,
2. सुब्बा पुत्र छाजू जाति मेव निवासीयान नंगला बंजीरका तहसील रामगढ जिला अलवर।

..... अपीलांट

बनाम

1. तहसील रामगढ जिला अलवर जरिये पटवारी हल्का नंगला बंजीरका तहसील रामगढ जिला अलवर ।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री अख्तर हुसैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 20.11.2019

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दि0 16.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दि0 02.03.2017 जिसके तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम साधन का बास की सरकारी बारानी 03 भूमि आराजी खसरा नंबर 331 रकबा 0.23 है0 में से 0.23 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलांट के बार बार पत्रावली में उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 02.03.2017 को यथावत रखते हुये दिनांक 16.05.2018 को अपील अपीलांट खारिज कर दी जिस निर्णय दि0 16.05.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम साधन का बास की सरकारी बारानी 03 भूमि आराजी खसरा नंबर 331 रकबा 0.23 है0 में से 0.23 है0 पर गैर सायलान/अपीलांटान का कब्जा होना जाहिर किया है जबकि अपीलांट द्वारा आराजी का कब्जा छोड दिया गया है और मौके पर अपीलांट का कब्जा नही है।

हम अपीलांट इस बात का शपथपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है कि हमारे द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है । विवादित आराजी पर अब हमारा कोई कब्जा नहीं है ।

अतः अधीनस्थ न्यायालय के दोनों निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी सरकार की है जिस पर उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 02.03.2017 को यथावत रखते हुए अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास व जुर्माने व बेदखली के आदेश को यथावत रखा है । इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलांट ने सरकारी आराजी पर कब्जा किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली आदेश न्यायोचित है ।

अभिभाषकगण इस बात का शपथपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है कि उनके द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है और वर्तमान में उनका कोई विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने सजा पर किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है ।

इस न्यायालय में अपीलांट ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी पर अब उसने अतिक्रमण हटा लिया है तथा अब कोई अतिक्रमण नहीं है ।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट ने अतिक्रमण छोड दिया है एवं वर्तमान में भूमि खाली अंकन किया है जो उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की ताईद करती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दि0 16.05.2018 व तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 02.03.2017 सिविल कारावास की सजा की सीमा तक निरस्त किये जाते है तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर